

प्रेषकः

आयुक्त
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।

सेवा में

सचिव
केन्द्रीय शास्त्राधिकैशिक परिषद्
शिक्षा कानून 2 समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

मिथ्या 13८७/ 27- 59 (2008-09) जे०८०

विषय :- सेट मैरीज कान्वेन्ट स्कूल, दाउद सराय रोड, अमरोहा, जनपद ज्योतिबाफुले नगर को सी०बी०एस०इ० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

दिनांक : २९-६-२०११

गहोदय

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सेट मैरीज कान्वेन्ट स्कूल, दाउद सराय रोड, अमरोहा, जनपद ज्योतिबाफुले नगर को सी०बी०एस०इ० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्णों के अधीन आपत्ति नहीं है-

- 1- विद्यालय की पाराकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के नेहावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे औ उनसे ३०प्र० शास्त्राधिकैशिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा सचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मौग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से नापाता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परिक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्ता नापता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षणिक एवं शिक्षणीतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों पर्याय अन्य भूतों से कम वेतनमान तथा अन्य भूतों नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा अर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अन्यान्य सेवा निर्धृति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- विद्यालय का रिकाउ निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 8- राज्य सरकार एवं सी०बी०एस०इ०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थाएँ सुविधाज्ञ की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 9- उक्त विद्यालय का सौवालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम निजामपुर गाँव, तहसील अमरोहा, जनपद जे०प्र००१०नगर में गाटा सं० १३६ का कुल क्षेत्रफल २.६३४० हेक्टेर में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र सचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 10- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 11- उक्त प्रतिवर्णों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवर्णों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या शिथिलता वर्ती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ गुरदीप सिंह)
मण्डलायुक्त।

संख्या एवं दिनांक : उक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- निरीक्षक, आग्ल मासिक विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- जिलाधिकारी ज्योतिबाफुले नगर।
- मण्डलीय संघर्षक शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद।
- जिला विद्यालय निरीक्षक, ज्योतिबाफुले नगर।
- प्रबंधक, सेट मैरीज कान्वेन्ट स्कूल, दाउद सराय रोड, अमरोहा, जनपद ज्योतिबाफुले नगर।